रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226163 CG-DL-E-26032021-226163

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

No. 165]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सं. 16/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 214(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.िन. 360(अ) दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/264/2015-टीआरयू (पार्ट-I)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

1871 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

No. 16/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 214(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (i) vide number G.S.R. 360(E), dated the 29th March, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/264/2015-TRU (Pt-I)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.